exchange. The company has, meanwhile, been given permission to also negotia e for foreign exchange loans for the import of capital goods relating to the Newsprint/Pnlp/Paper. Project.

Issue of Letter of Intent for setting on Paper Mill in Nainital

2065. SHRI KRISHNARAO THAKUR: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the name of the party to whom Letter of Intent has been issued for setting up a Paper Mill in Nainital District (U.P.); and

(b) the salient features of the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) (a) No party has been so far granted a Letter of Intent for setting up a paper mill in Nainital Distt. (U.P.)

(b) Does not arise.

Allocation of Raw Materials to Kerala State

2066. SHRI M. M. JOSEPH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whesher the expansion of industries in Kerala is hampered due of its geographical situation necessitating longer haulage both of the raw materiaes and of the finished products ;

(b) whether the pattern of allocation of raw materials to the various States has been decided;

(c) whether Government propose a higher percentage of allocation of raw material to Kerala; and

(d) if so, the salient features of the proposal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SADDHESHWAR PRASAD): (a) Industrial development of any region depends on a variety of factors. Proximity to markets and available raw material sources is only one of them.

(b) to (d). Imported raw material as also scarce indigenous raw materials are being allocated to industrial users on the basis of capacity/actual consumption and on the recommendations of the spon so ring authorities such as the DGTD, State Directors of Industries, Iron & Steel Controller etc. These allocations are not made statewise. As such, any higher allocation of raw materials to Kerala beyond the entitlement of the inpustrial units assessed in terms of capacity/actual consumption, does not arise.

Report of C. B. I. into a Corruption case against some Officials of Civil Defence and Home Guards, Delhi

2067. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3105 dated the 2nd December, 1970 regarding office of Civil Defence and Home Guards raided by C. B. I. and state:

(a) whether the C. B. I. has sent the report of investigation to the Delhi Administration in connection with the corruption case against some officials of Civil Defence and Home Guards, Delhi; and

(b) if so, whether a copy of the same would be laid on the Table of the House?

THE DEPUTY MINISTYR IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

12. 00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Deaths in Delhi Due to Liquori-poisoning

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Rohtak) : I call the attention of the Mitnister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"The reported deaths of a number of persons in the capital once again due to liquor-poisoning."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir. On the morning of 31st March, 1972, it was reported by the Director/Principal of the Maulana Azad Medical College to the Chief Secretary, Delhi Administration that 5 cases of seizures on account of taking spurious liquor had been admitted to the Irwin Hospital. The Police and Excise Departements were immediately directed to enquire into the circumstances. During the course of that day, and on subsequent days, further reports of more admissions in the various Hospitals and of deaths were received. Till this morning 9th cases had been received for admission in various Hospitals of Delhi. In addition, four persons were found dead elsewhere. Till that time, 56 persons had died, four had absconded from the hospital and thirteen had been discharged. 25 patients are still under treatment. An investigation into the causes of death is being made by the Excise and Police Departments. So far, the report of the Chemical Examiner has been received in respect of the viscera of seven deceased persons. In all these cases methyl alcohol has been detected in the viscera. In other cases, the report of the Chemical Examiner is awaited. It is suspected, however, that these deaths have occurred due to the consumption of spurious liquor containing deleterious material which can be fatal. A firm conclusion can be however, arrived at only after the report of the Chemical Exeminer has been received. In one other case, the person affected had stated that his physical condition deteriorated after consumption of rum, an Indian made foreign liquor.

The police have registered till this morning 15 cases under Section 304A and other Sections of the I. P. C. and Excise Act in Delhi and one case in Gurgaon. 12 arrests have been made so far. About 400 persons have been rounded up for interrogation during the the last few days and over 2000 bottles of illicit liquor have been seized in these raids. Since the time of last series of deaths, over 20,000 bottles of illicit liquor have been seized. The investigation is in progress.

The stocks of methyl alcohol and thinner with 99 shops have been sealed. The total quantities involved are 25619 litres of thinner and 7571 litres of Methyl alcohol.

After the receipt of the report of the Baweja Commission, the Delhi Adminstration is reviewing, the whole Excise Policy in order to determine the future koures of action. In regard to rscommendations which could be implemented forthwith, instructions. have been issued by the Delhi Adminstration to the Exice and Police Departments. Licences will hereafter be needed for Methyl Alcohal and thinner. Licences will be given after very thorough checking. The cases of the existing permit/licence holders of denatured sprit and specially denatured sprit will all be reviewed. Three licences have already been suspended and show cause notices have been given to 35 others. The U. P. Government have been repuested to ensure that there is superior supervision at the time of mixing of denaturants to the sprit in the distilleries. the wholesalers are required to report to the Excise authorities when they receive consignments of denatured and epecially denatured sprit and they cannot release these materials for sale till samples are taken and analysed by the Chemical Examiner. No supply will be given to permit hoders of special denatured sprit unless they have rendered adecate proo for the use of the sprit and satisfaceory disposal of the products made out of it. Regular accounts of sales have te be kept. The Excise staff have to regulerly check the entries in the Sales Registers of the retail sellers and to satisfy themselves that the purchases are genuine. On 4th April, 1972, the Executive Council has decided to increase the excise levy on special denatured sprit from the existing rate of Rs. 0.45 per litre to Rs. 1.50 per litre. This should help in curbing the use of this sprit for preparation of illicit liquor, The Adminstration has temporarily taken over the retail sale of country liquor in Delhi. The retail sale price has been fixed at Rs. 10 per bottle, for time being. This reduction in the in the price ef country liquor should discourage smuggling from accross the borders.

Diciplinary action is being taken against the officers of the Palice and Excise Departments who wave been reported to be guilty of dereliction of duty. Keeping in view some of the comments made in the report of the Baweja Commission. the Delhi Administration has suspended the District Excise Officer, three Excise Inspectors and Station House Officers of Police Stations of Kamla Market, Pahar Ganj and Defence Colony. Disciplinary action against other persons will follow after their responsibilities have been fixed.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह जो सांच का विषय है जिसके बारे में मिनिस्टर साहब ने अपना स्टेटमेंट आपके सामने दिया बड़ा गंभीर और चिन्ताजनक है। जनवरी के अन्दर ऐसे वाकयात और ऐसी ट्रेजेडी दिल्ली में, अपने देश की कैपिटल सिटी के अन्दर हुई जबकि सैकड़ों से ज्यादा आदमी इस पौयजनस लिकर से मरे। उसके बाद एक बवेजा कमीशन के नाम से कमीशन मुकर्रर हुआ। उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आई और आज मिनिस्टर साहब ने हाउस के अन्दर स्टेटमेंट दिया है जो अखबारों के अन्दर भी आया कि 56 अमवात इस पौयज़नस लिकर से दिल्ली के अन्दर और हो चुकी हैं। वैसे अनआफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाय तो सौ से ज्यादा मौतें अब भी इस लिकर से हुई हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसको कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्ड के ऊपर अच्छी तरह से गहराई में जाकर टैकिल करने की कोशिश नहीं की गई। जो हमारी एक्साइज़ पालिसी है वही बड़ी गलत है।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब जनवरी के महीने में इस पायज़नस लिकर से मौतें हुई तो हमारे जो माननीय चीफ एग्ज़ी-क्यूटिव कौंसिलर इस वक्त हैं श्री राधारमण जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अखबारों के अन्दर वह आया हुआ और उसके जरिए से उन्होंने उस वक्त के जो एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिलर इस मुहकमे के इन्चार्ज थे एक्साइज़ डिपार्टमेंट के, उनका इस्तीफा तलब किया था। मुझे आज पता नहीं कि श्री राधारमण जी आज चीफ एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिलर हैं वह अपने स्टेटमेंट पर कायम रह कर अपना या एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिलर जो इन्चार्ज हैं इसके उनका इस्तीफा तलब करेंगे या देंगे या नहीं देंगे यह तो उनके अपने समझने की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी जबर्दस्त बीमारी है दिल्ली के अन्दर। इसकी कोई रेंस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक्साइज़ डिपार्टमेंट जो है वह इस रेस्पांसिबिलिटी को पुलिस के ऊपर डालना चाहता है।

पुलिस डिपार्टमेंट इसके एक्साइज़ डिपार्टमेंट पर डालना चाहता है। मैं तो यह समझता हूं कि दिल्ली की एक्साइज़ पालिसी शुरू से ही इतनी गलत है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर इसको ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो या तो यहां पर टोटल प्राहीबिशन किया जाय, अगर टोटल प्राहिबीशन न हो तो इस तरह से लोगों को पायज़न देकर क्यों मारा जाय। जो गरीब लोग हैं, वे ही ज्यादा वाइन पीने के एडिक्टेड हैं......

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : गलत बात है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आप देखें, अभी जनवरी में जो सैकड़ों आदमी मरे, उनमें गरीब लोग ज्यादा थे, इसलिये इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं, फिर भी उसको चैलेन्ज करने के लिये खड़े हो गये।

शराब की एक दुकान शाहदरा के अन्दर है, नजफगढ़, नांगलोई नरेला, आजादपुर या दिल्ली के जो दूसरे हिस्से हैं, वे लोग शराब लेने के लिये शाहदरा कैसे आये, ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि लोग इल्लिसिट डिस्टि-लेशन की तरफ जायेंगे या पीने के दूसरे तौर-तरीके अख्तियार करेंगे, दूसरे किस्म की अलकोहल खरीदने की कोशिश करेंगे, मेरी समझ में यह बात भी नहीं आती है कि हरियाणा के सूबे में या यू० पी० के सूबे में शराब इतनी सस्ती मिलती है, 7 रुपये की बोतल आती है, जबकि वही चीज दिल्ली में 12 रुपये की दी जाती है। यही वजह है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने दिल्ली के अन्दर इतने बूट-लैगर्स क्रियेट कर दिये हैं— यह सब इन डिपार्टमेंट्स की ही क्रियेशन है, क्योंकि इनसे उनको बड़ी जबरदस्त आमदनी होती है......

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं प्रश्न पूछने ही जा रहा हूं। माफ कीजिये यह मामला इतना महत्वपूर्ण है, ये बूट-लैगर्स इन दोनों डिपार्टमेंट्स की ही क्रियेशन हैं। एक तरफ एक्साइज वाले रिश्वत लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले और क्राइम ब्रान्च वाले रिश्वत लेना चाहते हैं, इसी वजह से 7 रुपये की बोतल दिल्ली में स्मगल करके लाई जाती है और इतना मुनाफा लगाकर उसको 12 से 14 रुपये तक बेचते हैं।

आज मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में बतलाया है कि अब बोतल की कीमत दिल्ली में 10 रुपये मुकर्रिर कर दी गई है, वह समझते हैं कि थोड़ी कीमत मुकर्रिर करने से इसको डिस्करेज कर सकेंगे, लेकिन यह चीज पहले से इन्होंने नहीं सोची थी। बवेजा कमीशन की रिपोर्ट को आये हुए इतने दिन हो गये, रोजाना यहां पर वाक्यात दोहराये जाते हैं। इसी किस्म का काल-अटेन्शन दूसरे हाउस में—राज्य सभा—में भी आया था, वहां भी मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था और इसके बारे में वहां भी बड़ी जबरदस्त आवाज उठाई गई थी और क्रिटिसाइज किया गया था। आज फिर दोबारा हमको यह काल-एटेन्शन यहां पर लाना पड़ा, क्योंकि यह दुर्घटना दिल्ली में फिर दोहराई गई है और सैकड़ों आदमी इसके शिकार हुए हैं।

इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—दिल्ली की एक्साइज पालिसी को री-ओरिएन्ट करने में कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको टाप-प्रायोरिटी के ऊपर टैकल करके जल्द से जल्द रिवाइज़ किया जाय।

दूसरा सवाल—गवर्नमेंट ने इन बूट-लैगर्स की जहरीली शराब को खत्म करने के लिये दिल्ली में क्या फौरी-कदम उठाये हैं?

तीसरा सवाल—जैसा जिक्र किया गया है कि जब दूसरे हाउस में काल-एटेन्शन की शक्ल में इस सवाल को उठाया गया था, उस वक्त मंत्री महोदय ने कुछ "एशोरेंसेज वहां पर दी थी। क्या वे सिम्पल एशोरेंसेज ही बनकर रह गई हैं उनको इम्पलीमेंट करने के लिये कोई फौरी-इकदामात उठाये गये हैं?

चौथा सवाल—बवेजा कमीशन की रिपोर्ट को फौरी-तौर पर इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया गया?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मलिक साहब ने कहा कि जितने लोगों की मृत्यु बताई गई है, उससे ज्यादा लोग मरे हैं। मेरे पास जो सूचना है, वह मैंने दी है। मेरे पास यह भी सूचना है कि एक ऐसा केस भी हुआ है जिसमें एक शव को ले जाया जा रहा था घाट की ओर। उसको पकड़ा गया, पुलिस को खबर मिली, वहां से उसको लाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया और मालूम हुआ कि जहरीली शराब की वजह से मृत्यु हुई है। इस घटना से तो नहीं दिखाई देता है कि किसी चीज को छिपाने की कोशिश की गई है, जहां भी सूचना मिली है, पुलिस इस हद तक तहकीकात के लिये गई है।

दूसरी बात आपने यह कही कि राधारमण जी ने पहले कुछ कहा था, अब वह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे—मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त के एक्जीक्यूटिव कौंसिलर इस्तीफ़ा दे देते तो एक परम्परा बन जाती, तब यह सवाल कुछ मायने रखता।

आपने जो एक्साइज पालिसी की बात कही है—मेरे मन में यह बात साफ़ नहीं हुई कि आप क्या चाहते हैं—टोटल प्राहिबीशन हो या यह चाहते हैं कि शराब को ज्यादा पिलाया जाय? दोनों बातें आपने कही हैं, इसलिये इस बात की सफाई मेरे दिमाग़ में नहीं हुई है कि आप किस दिशा में एक्साइज नीति मे परिवर्तन चाहते हैं? यह एक बुनियादी चीज है, अगर इसे

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

सवाल पर आप कुछ रोशनी डालें तो हमको इस पर विचार करने में कुछ आसानी होगी।

आपने कहा कि इस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाये गये है—बवेजा कमीशन की सिफारिशों पर अमल करने के लिये और वैसे भी कौन से कदम उठाये गये हैं ? बवेजा कमीशन की कुछ सिफारिशें तो ऐसी हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखती हैं वे आज एक्जीक्यूटिव कौंसिल के विचाराधीन हैं। जिस दिन नव-निर्वाचित एक्जीक्यूटिव कौंसिल की पहली मीटिंग हुई थी, उसी दिन एक्साइज पालिसी का मामला उनके सामने आया था। उस पर वे विचार करेंगे और उसके बाद वे अपना निर्णय लेंगे। जहां तक दूसरी सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनका एक्साइज पालिसी से सम्बन्ध नहीं है। मेरे पास सब ब्योरा मौजूद हैं, 18 सिफारिशों में से 12-13 या 14 सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है, इनसे अधिकतर एक्साइज पालिसी से सम्बन्ध रखती हैं। मैं यह सब ब्यौरा दे सकता हूं लेकिन इनको पढ़ने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जैसी आपकी हिदायत होगी, वैसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दे दीजिये।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : दूसरी कार्यवाहियों के बारे में जैसा इन्होंने पूछा है, मैंने संक्षिप्त विवरण अपने स्टेटमेंट मे दिया है, जिससे आप को कुछ अन्दाजा हो जायगा कि बवेजा कमीशन की नियुक्ति जब से हुई है, तब से 4 अप्रैल तक इल्लिसिट लिकर की जो रिकवरी हुई है उसमें 22 हजार बोतलों की रिकवरी हुई है। और टोटल नम्बर आफ केसेज रजिस्टर्ड 683, टोटल नम्बर आफ पर्सन्स अरेस्टेड 732। इसी से अन्दाजा लग सकता है कि क्या क्या फालो अप ऐक्शन हो रहा है।

श्री भानसिंह भौरा (भटिंडा) : इस कालिंग अटेंशन मोशन का जो जवाब मिनिस्टर साहब ने दिया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली में यह तीसरा इंसीडेन्ट है। पहला इंसीडेन्ट 1969 में हुआ जिसमें 40 लोग मरे, फिर अभी जनवरी में हुआ जिसमें 110 लोग मरे और अब फिर यह इन्सीडेंट हुआ जिसमें जितने लोग मरे हैं वह मीनिस्टर साहब ने बताए हैं। पहले दो वाकयात जनसंघ के रूल में हुए और इस बार कांग्रेस का रूल है। इस्तीफा देने की जो बात कही जाती है कि रूलिंग पार्टी इस्तीफा दे तो मैं समझता हूं यह उसका कोई हल नहीं है क्योंकि सिर्फ देहली में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में ऐसे वाकयात होते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं, कही दो, कहीं तीन और कहीं पांच और हमारे यहां पंजाब में तो रोज ही खबर आती रहती है कि कोई मर गया। आपको पता है कि घर में जो शराब निकाली जाती है उससे लोग नहीं मरते है बल्कि सरकार जो शराब ठेकों पर देती है उसी से लोग मरते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जितने सैम्पिल भरे गये उनमें सेन्ट परसेन्ट लेबोरेट्रीज से यही रिपोर्ट आई कि इसमें ऐसे इन्ग्रीडियन्ट्स हैं जिनसे डेथ हो सकती है। मुझे पता नहीं उनके खिलाफ सरकार ने आज तक कोई ऐक्सन लिया या नहीं लिया—मेरी जानकारी तो यही है कि ऐक्शन नहीं लिया। अगर सरकार किसी सब-इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड कर देगी तो उससे यह मसला हल होने वाला है नहीं। सब-इंस्पेक्टर या इस्पेक्टर जो मंथली पैसा लेता है उसमें, जो ऊपर अफसर बैठा है सबसे बड़ा उसका भी शेयर होता है और हमारे पंजाब में तो पुरानी मिनिस्ट्री में कई मिनिस्टर भी ऐसा करते रहे।...(व्यवधान) ...तो इस तरह से इसका हल नहीं निकलेगा।

प्रोहिबिशनों की जहां तक बात है, उससे लोग और ज्यादा पीने लगते हैं। जहां पर भी आपने प्रोहिबिशन किया वहां पर लोगों ने पीना बन्द नहीं किया बल्कि उनका पीना और बढ़ गया।...(व्यवधान)...आपको शायद पता होगा कि मेरे जिले में एक डिप्टी कमिश्नर हुये

थे जो शराब पीकर तकरीर करते थे कि शराब मत पियो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा ख्याल है रात को 8-9 बजे जाकर देखें तो सभी का पता चल जाता है। इसलिए मैं समझता हूं यह जो प्रोहिबिशन है इसको तो टोटली स्क्रैप कर देना चाहिए। प्रोहिबिशन का कोई मतलब नही है। मैं कहूंगा कि एक बात की जाये कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई पीकर आये तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाये। तभी यह चीज बन्द हो सकती है।

दूसरे जो बवेजा कमिशन की रिपोर्ट है वह मेम्बरों को पहले ही दे देनी चाहिए थी। इसके अलावा मै आपसे कहूंगा कि आपने यह जो आक्शन सिस्टम चलाया है इसको खत्म कर देना चाहिए। सरकार खुद ही दूकाने क्यों नहीं खोलती है? गवर्नमेट को इसमे क्या दिक्कत है?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो आप प्रश्न ही करिए, डिस्कशन के लिए कोई और वक्त रख लेंगे।

श्री मानसिंह भौरा : मैं कहना चाहता हूं क्या गवर्नमेंट इसको कसीडर करेगी क्योंकि सारे हिन्दुस्तान की जिम्मेवारी आपकी है कि यह जो आक्शन सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाये। मैं आपको बता सकता हूं कि ये जितने आक्शन होते हैं और उसमें जितनी बोतलें दी जाती हैं उसमें मान लीजिए कहा जाता है कि एक बोतल दस रुपए में बेचो लेकिन उस बोतल की कीमत ठेकेदार को 12 रुपए में पड़ती है और इस पर उसको अपना मुनाफा भी लेना है और इन्स्पेक्टर वगैरह को भी देना है फिर वह उतने में कैसे बेच सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि आक्शन सिस्टम टोटली बन्द होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि देहली से मांग आई है कि शराब की फेयर प्राइस शाप्स खोली जायें, वहां से सस्ती शराब दी जाये तभी यह चीज बन्द हो सकती है। जो पीने वाले लोग है पीते हैं, कई लोग जो नहीं पी सकते हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं वे कैपसूल खाते हैं। मार्केट में जो कैपसूल बिकते हैं उनसे भी बहुत सारे लोग मरते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि शराब की फेयर प्राइस शाप्स हर एरिया में खोली जायें।...(व्यवधान)...

इसमें कहा गया है कि जो आफिसर्स गिल्टी पाये जायेंगे उन पर कार्यवाही होगी लेकिन आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं कहूंगा कि जो आफिसर गिल्टी पाया जाये उस पर भी 302 का केस रजिस्टर होना चाहिए, उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आज जो एक्साइज डिपार्टमेंट की मशीनरी है उसको ओवरहाल किया जाये तभी आपका काम ठीक से चल सकेगा। पुलिस वालों का तो आपको पता ही है कि किसी को पकड़ लिया और चार पांच सौ रुपया लेकर छोड़ दिया। इसी तरह से मिथाइल अलकोहल का जो मिसयूज होता है उसको भी चैक करें। इन सब बातों पर अगर आप जल्दी से जल्दी कदम उठायेंगे तो यह मामला हल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रश्न तो है नही, सजेस्चन्स है।

He has forgotten to make one suggestson, namely, setting up a memorial to those people who have sacrificed their lives at the altar of alcohol.

श्री मानसिंह भौरा : मैंने सवाल पूछे हैं जैसे गवर्नमेंट फेयर प्राइस शाप्स खोलने जा रही है या नही और आक्सन सिस्टम बन्द करेगी या नही।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा कोई सवाल तो पूछा नहीं, सूचना उन्होने दी है। उन्होंने कहा कि 69 में 40 आदमी मरे थे तो 68 में 20 आदमी मरे थे,

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

यह मैं बता सकता हूं। और जो बाकी बातें हैं जैसे ठेके की शराब से ही लोग मरे तो यह सही नहीं होगा क्योंकि इसमें मिथाइल अलकोहल जो मिला है और बवेजा कमीशन ने जो बातें कही हैं उससे पता चलता है कि वार्निश और पेन्ट्स वगैरह में जो इस्तेमाल होती है, जो कि थिनर होती है उसको इस्तेमाल किया कुछ लोगो ने और उनमे चूंकि मिथाइल अलकोहल की मात्रा अधिक होती है, वह प्योरीफाई नहीं हुआ, उसको पिया और उसी से मृत्यु हुई है। जो ठेके की दूकान है उस पर पुलिस केस चल गया है, कार्यवाही हो चुकी है, शायद मैंने कहा भी था लेकिन आपने नोटिस नहीं किया।

माननीय सदस्य कहते हैं कि घर मे बनाई हुई शराब अच्छी होती है, ठेके की दूकानो की अच्छी नही होती है। (व्यवधान) मुझे आशा है कि माननीय सदस्य का सुझाव यह नहीं है कि लिसिट डिस्टलेशन बन्द करके इल्लिसिट डिस्टिलेशन शुरू किया जाये और जो पंजाब के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा उसका मैं क्या जवाब दूं? दिल्ली के सम्बन्ध में यहां सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली की वजह से पंजाब में यह आ रही है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : बवेजा कमीशन की रिपोर्ट की समरी प्रेस को दी जा चुकी है। बवेजा कमिशन की रिपोर्ट छप रही है इसलिये इसमें कोई छिपी बात नहीं है।

एक बात उन्होंने यह कही कि अगर दूकानें बन जायेंगी तो उसके बाद जो लोग पिल्स या कैपस्यूल्स लेते हैं उन्हें वे लेना बन्द कर देंगे, मैं इस वहम में नहीं पड़ता लेकिन मैं माननीय सदस्य को याद दिलाता हूं कि अमरीका और इंगलैंड में आज बहुत से नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं हालांकि वहां शराब बड़ी खुली बिकती है और आप पी सकते हैं। हर कोने में वहां शराब की दुकान है लेकिन जो भी बहुत से लोग वहां ड्रग्स ले रहे हैं तो दरअसल यह एक मनोवृत्ति और आदत की बात है और माननीय सदस्य इस तरह की आदत लोगों को डलवाना चाहते हैं इसका भी प्रश्न है।

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) : Sir, before I ask questions I would beg to draw your attention to the callousners with which the Home Ministry treats business before this House. This reflects its attitude towards other important matters like the one we are discussing resulting in the death of poor people. I would like you to see the copy which has been supplied It is not readable at all. I would repuest that you direct at least the papers supplied to Members of this House are readable.

MR. SPEAKER : These motions are admitted at a very short notice and sometimes there is very little time left when the information comes.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : The typed papers should be readable They should make four copies instead of making eight or ten copies at a time.

MR. SPEAKER : I think, you are right.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : They are saving both on carbon and labour.

MR. SPEAKER : This copy is very poor, I quite agree.

SHRI S. M. BANERJEE : This copy is still poorer.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : This is the second case involving deaths of hundreds of poor people within one year. I would not go to the extent of saying that this is part of the policy of Government to control population or to remove poverty by liquidating the poor. But certainly there is some explanation which the Government owes to the people for incidents like this.

The hon. Minister has stated that he has issued instructions and steps are being taken to control the sale and distribution of denatured spirit. I would like to know whether in his knowledge this is the only

chemical or factor which is used for making such dangerous and spurious liquor. There are various other means and I would like to point out that unless the whole policy of the Government is changed in the matter of excise, such incidents would not stop.

Sir, we are wedded to a policy of prohibition in our Constitution. During the last 25 years we have been talking about prohibition but gradually there has been relaxation in this policy I fail to understand why the Government does not admit that they have failed to carry out the directives of the Constitution. Delhi is not the only State but these matters crop up in other places also and I appreciate the difficulties of Government in curbing this social evil. Those who want to drown their sorrows with drugs or alcohol would do it. They would use other drugs also. But it is the responsibility of the Government to see that good liquor is supplied to the people who want to consume it.

I hope, it is with the approval of the Ministry of Home Affairs that Haryana Government has taken certain steps. They have started a policy of issuing free licences for open bars. They are trying to see that every *Panwala* will have a wine shop and anybody could ask for a glass of wine. If Haryana Government is doing it, being a Congress Government, I fail to understand why this policy of prohibition is not changed at the Centre's level. Why is it different in other States ? It is also due to that that persons in such cases die.

The hon Minister has stated that steps are being taken to open liquor shops at Administration's level. I want to know whether it is possible for poor man to buy a bottle at a time. What is responsible for such incidents in Delhi is the practice of selling whole bottles. There are no open bars. If open bars for retail sale or parts of bottle are started in Delhi, these poor people could go and buy 4 annas or 8 annas worth of liquor. They cannot buy a whole bottle at a time. That is why these deaths are occurring. I would like to know from the hon. Minister how far it is correct that it is only the poor people who have died. It is because they do not have enough money to go for a whole bottle at a time. So, they go to these places for illicit liquor, and they want to purchase cheap one.

There are one or two more things I would like to as the hon. Minister. He may be good enough to say whether this policy of prohibition which has, to my mind, completely failed in this country is going to be pursued or whether they are having some second-thoughts about it. Secondly, I want to know what steps are being taken to see that poor people who want to drink, if the prohibition is not to be introduced completely, only in that case, can get good authenticated liquor from Government shops in short quantities because they cannot afford to buy a bottle at a time.

SHRI K. C. PANT: Sir, the hon. Member blamed the Home Ministry for callousness and then he went on to ask a rhetorical question as to whether these deaths were a part of the Government's policy to control population and to remove poverty by killing the poor. I am sorry during these questions and answers, I have never heard such a callous statement.

As to whether the denatured spirit is the only chemical which is responsible for these deaths or there are other chemicals which can also be used to prepare illicit liquor, other chemicals also can be used. As I have mentioned, apart from denatured spirit, it is the specially denatured spirit which is known as industrial alcohol which is also used for making thinner and which is used for varnishes and paints. It is these chemicals also which are sometimes used very wrongly for preparing liquor. They contain chemicals which by ordinary processes cannot be purified to a safe level. So, illicit distillation does not take the poison away. In fact, in Delhi, as far as I know, there is no distillation as such. It is a mixing of chemicals.

It does not take away the poisonous element and that causes death. That is one of the conclusions one can draw from Baweja Commission's report. Until the investigations are complete, I would not like to say categorically whether a particular chemical was responsible for the deaths or whether there may have been smuggling of some alcohol from outside because there was a case from Gurgaon which I mentioned in the statement. So, until the investigations are complete, I would not like to make a categorical statement.

[Shri K.C. Pant]

The other point is about prohibition and Government's approach to the policy of prohibition. My hon. friend is an experienced administrator and he has rightly said that there are difficulties in the way of Government being able to control social evils. These have their roots in certain other maladies and perhaps it is not possible for Government by fiat or law to control these things. But the policy of prohibition, as he himself points out, is based ..

SHRI K. S CHAVDA (PATAN) : I rise on a point of order regarding prohibition policy.

SHRI K. C. PANT : I am coming to that.

SHRI K. S. CHAVDA : Sir, I have risen on a point of order.

SHRI K. C. PANT : Let me complete my reply.

SHRI K. S. CHAVDA : Sir, I have a point of order.

MR. SPEAKER : I would listen to it. Please sit down. Let him complete his reply.

SHRI K. C. PANT : As may hon. friend points out, the prohibition policy is based on the Constitution because it is one of the Directive Principles of State Policy. Therefore. it is not possible for me to say whether there will be a change or not. It is the right of the Constitution itself.

Sir, the other question related to the excise policy in Delhi ..(*Interruption*)

SHRI K. S. CHAVDA : My point of order referred to the prohibition policy.

MR. SPEAKER : Is it a point relating to procedure ? Is something wrong with the procedure ?

SHRI K. S. CHAVDA : It is regarding the prohibition policy.

MR. SPEAKER : Then it is not a point of order.

SHRI K. S. CHAVDA : Can Government go against the mandate given by the Lok Sabha ?

SHRI K. C. PANT : I think, my hon. friend has either mis-understood me or did not hear me properly. He may read what I have said. (*Interruption*) I have not said anything that goes against national policy.

About the suggestion to open liquor shops, it is a basic dilemma with the policy of prohibition accepted by this House and the Government and the people to what extent one can go about opening these shops and so on... (*Interruption*) This poses a dilemma and I would like the House to appreciate the dilemma of the Governme nt in this matter also because it is the House which ultimately decides on these matters of policy ; it lays down the policy. A Constitutional decision has to be taken. I cannot pronounce this policy. The policy which is followed by the Government is that which is accepted by the House. (*Interruption*)

SHRI K. S. CHAVDA : In 1956 the House adopted the policy regarding prohibition.

MR. SPEAKER : The hon. Member seems to think that pointing out some provision in the Constitution becomes a point of order.

SHRI K. S. CHAVDA · He said that the House should give a mandate regarding prohibition policy. In 1956 the House passed a Resolution unanimously. My I read a sentence ?

MR. SPEAKER : It is upto the House to decide.

SHRI K. S. CHAVDA : The House has passed the Resolution unanimously. (*Interruption*)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I have a submission to make. The Constitution was adopted by those persons who never drank. Now the composition of the House has changed. (*Interruptions*)

SHRI BIRENDER SINGH RAO : My question was not answered. I wanted to know as to how it is that the Prohibition policy to which this in Haryana. It House also subscribed is not being followed is different there. Why can't it be done in Haryana ? What is the hitch ?

MR. SPEAKER : So far as the capital is concerned, he can reply. Regarding Haryana, you go to Mr. Bansilal.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : दिल्ली प्रशासन चाहे किसी के हाथ में हो, जन संघ के हाथ में हो या कांग्रेस के हाथ में हो, यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली राजधानी होते हुए भी यहाँ आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि मैथेलिटेड स्पिरिट पी कर या पायज़नस ड्रिंक पी कर सौ डेढ़ सौ आदमी मर गए। क्या पता इससे भी अधिक लोग मरते हों। दो-दो चार-चार मिल कर हजारों हो जाते है और हजारों मरते होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके रूट काज़ में जाने की कोशिश की गई है, इसकी गहराई मे जाने की कोशिश की गई है? ये कौन लोग थे, किस वर्ग के लोग थे. उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, कहां वे रहते थे, झुग्गियो में रहते थे या कही और रहते थे, आमदनी भी उनकी कुछ थी या नहीं थी, खाने को उनको मिलता था या नहीं मिलता था, उनकी माली हालत कैसी थी, वे फ्रेस्ट्रेटिड थे, डिसएप्वाइटिड थे, क्या यह सब जानने की कोशिश की गई है? पी कर बेहोशी तक की अवस्था मे पहुँचने की तो शराब इजाजत देती है लेकिन मरने की इजाज़त नहीं देती है। बड़ी-बड़ी कवितायें भी इस पर लिखी गई हैं। जिन्होंने शराब पी, उनको अपनी बेहोशी का एहसास भी नहीं हुआ और वे मर गए; शायद यह उनकी फ्रेस्ट्रेशन का नतीजा हो या दिल्ली की जिन्दगी ही ऐसी हो जिस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। दिल्ली की किस्मत को आप देखें। सर्दी ज्यादा पड़ जाती है तो सैंकड़ों आदमी उसकी वजह से मर जाते हैं। लू चलती है तब भी सैंकड़ों लोग उस लू से मर जाते हैं। यह क्या बात है और क्या इसकी गहराई में जाने की कोशिश की गई है? जिन कारणों से यह सब कुछ होता है क्या उन कारणों को दूर करने की कोई कोशिश की गई है? क्या दिल्ली की किस्मत में यही लिखा रहेगा कि कोई भी हालात हों, शराब, सर्दी, गर्मी कुछ भी हो, लोगों को मरना ही है। सर्दी में वे इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। क्या यह जो तबका है इसके पास जाकर अभी आपने पूछा है कि उसको क्या चाहिये? यह एक इकोनोमिक सवाल है। यह एक बुनियादी सवाल है। लोग जब मर जाते हैं तो क्या कोई पूछता है जाकर उनके घर वालों को कि कैसे ये लोग थे जो मर गए? क्या ये इसलिए मर गए कि इनके पेट में खुराक नहीं थी? कैसे लोग थे और किस क्लास के थे? बड़े-बड़े मकानों में रहते थे या झोंपड़ियों में रहते थे? आसूदगी की जिन्दगी बिताते थे या कैसी जिन्दगी बिताते थे? यह बेसिक और फंडेमेंटल सवाल है। यह ह्यूमन लाइव्ज़ का सवाल है, ह्यूमैनिटेरियन सवाल है। यह कहा जा सकता है कि एक्साइज़ डिपार्टमैंट के इंसपेक्टर कुरप्ट हैं या पुलिस कुरप्ट है। लेकिन इससे सदन को सैटिसफैक्शन नहीं हो सकता है। एक्साइज़ डिपार्टमैंट के लोगों को चाहे आप बदल लें वे पैसा जरूर खायेंगे। पुलिस मिली रहती है, वह पैसे जरूर खाएगी। मरने वाले लोगों का क्या होगा? इस तरह से बेमौत लोग न मरें, मैं जानना चाहता हूं कि कोई नैशनल ड्रिंक आप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें थोड़ा सा नशा भी हो। जो पीने वाले हैं उन पर भी आप रहम करें, जो बनाने वाले हैं, उन पर भी रहम करें। थिन्नर या स्पिरिट मिलाने का या दूसरे जो फार्मूला है, वह लोगों को मालूम नहीं है। पंत जी को तमाम फार्मूले मालूम हैं और उनको पता है कि थिन्नर या स्पिरिट मिलाई जाये तो वह पायज़न हो जाती है। मैं जानना हूं कि कौन से फार्मूले हैं, कौन से कैमिकल्ज़ हैं जिनको अगर मिला दिया जाये तो वह ड्रिंक ज़हर हो जाती है? क्या इसके सम्बन्ध में आपके पास कोई आथेंटिक रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कब तक आप इस रिपोर्ट को दे सकेंगे।

[श्री राम सहाय पांडे]

प्लानिंग के मिनिस्टर श्री सुब्रह्मण्यम बैठे हुए हैं। कंट्री की लाइफ इनके हाथ में है। मैं जानना चाहता हूं कि पायज़नस ड्रिंक पर रोक लग सके, इसलिए क्यों कोई नैशनल ड्रिंक बनाने की बात वह सोच रहे हैं? कब तक वह इस तरह की ड्रिंक लोगों को पिला सकेंगे जिसमें नशा ज्यादा न हों?

SHRI K. C. PANT : It is an enthusiastic suggestion for action.

MR. SPEAKER : Now papers to be laid on the Table.

12.30 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of Hindustan Teleprinters Ltd., and Indian Telegraph (Seventh Amdt.) Rules

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Hindustan Teleprinters Limited, Madras, for the year 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT—1647/72]

(2) (i) A copy of the Indian Telegraph (Seventh Amendment) Rules, 1971 (Hindi and English versions), published in Notification No. G. S. R. 1471 in Gazette of India dated the 9th October, 1971, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT—1648/72.]

Annual Report of Central Vigilance Commission and Notifications under All-India Services Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : On behalf of Shri Ram Niwas Mirdha, I beg to lay on the table—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Vigilance Commission for the year 1970-71.

(ii) Memorandum (Hindi and English versions) explaining the reasons for non-acceptance by Government of the Commission's advice in certain cases mentioned in the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT—1649/72]

(2) (a) A copy each of the following Notifications Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(i) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1972, published in Notification No. G.S.R. 45(E) in Gazette of India dated the 20th January, 1972.

(ii) The Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 1972, published in Notification No. G. S. R. 46(E) in Gazette of India dated the 20th January, 1972.

(iii) G.S.R. 47(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 1972 constituting for the States of Assam and Meghalaya a joint cadre of the Indian Forest Service.

(iv) G.S.R. 48(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 1972 constituting for the States of Mainpur and Tripura a joint c
of the Indian Forest Servi